REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2019

भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन

भारती थापा[1] , प्रो. सी.एस. सूद[2]
[1]शोधछात्रा,राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग.विवि,श्रीनगर,गढवाल.
[2]प्रो. सी.एस.सूद,राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग.विवि,श्रीनगर,गढवाल.

संक्षेप –

भारतीय राजनीतिक में महिलाओ की राजनीतिक सक्रियता सदैव से ही अध्ययन एंव चिन्तन का विषय रही हैं। भारतीय राजनीति प्रारम्भ से ही पुरूषों द्वारा निर्देशित व संचालित की जाती रही हैं। अतः भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता विशेष महत्व रखती हैं। राजनीतिक सक्रियता के अर्न्तगत मतदान करना, राजनीतिक परिचर्चा करना, रैली–प्रदर्शन करना, आन्दोलन करना, आदि गतिविधियां आती हैं। भारत में महिलाओ की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता हैं कि वह राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय नही हैं प्रस्तुत शोध पत्र का अदेश्य द्वितीयक स्त्रोतो का उपयोग करते हुए महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता के स्वरूप एवंम उसे प्रभावित करने वाले कारको को उजागर करना हैं। भारतीय राज व्यवस्था विश्व मे सबसे बडी लोकतान्त्रिक राज व्यवस्था हैं लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ ही जनसहभागिता होती हैं। अतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना अति आवश्यक होता हैं। लोकतान्त्रिक राज व्यवस्था में प्रत्येक नागरिको को शासन में भाग लेने की समान सुविधा व अवसर होते हैं वह प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क करके सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों व अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे जान कर उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं।

लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली का आधार व्यक्तियो की राजनीतिक सक्रियता एवंम जागरूकता हैं चूकि लोकतान्त्रिक व्यवस्था सामान्यतः जनता/व्यक्तियो द्वारा ही संचालित होती हैं। अत जनता की राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरो पर जितनी अधिक भागीदारी होगी लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्था उतनी ही अधिक कुलशतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वो का निर्वाह करेगी। लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था में राजनीतिक सक्रियता का महत्व इस कारण और भी बढ़ जाता हैं इसमें राजनीतिक सस्थाओं के निर्माण एंव संचालन का कार्य नागरिको के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियो द्वारा किया जाता हैं। भारतीय सविधान द्वारा स्थानीय सस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी राजनीतिक सस्थाओं में नागरिकों (स्त्री/पुरूष) को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किय गये हैं।[1] राजनीतिक सक्रियता किसी एक गतिविधि से संबंधित नही हैं यह अनेक प्रकार की गतिविधियो का सम्मिलित रूप हैं जिसके द्वारा साधारण जनता अपनी राजनीतिक सक्रियता को प्रदर्शित करती हैं। राजनीतिक सक्रियता के अर्न्तगत निम्न गतिविधियॉ आती हैं मतदान करना, राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करना, दलो से जुडें कार्य करना, चुनाव लडना, राजनीतिक पद धारण करना, सरकारी अधिकारियों से सर्म्पक करना, सरकार के विरूध धरना–प्रदर्शन करना आदि। भारतीय राज व्यवस्था को गतिशील बनाये रखने में नागरिकों की सक्रियता व योगदान आवश्यक व अपरिहपार्य हैं। चुनावो में मतदान करना नागरिको की रानीतिक सक्रियता का प्रथम माध्यम माना जाता हैं। लेकिन राजनीतिक सक्रियता केवल चुनाव में प्रतिभाग करना मात्र नही है सामान्य रूप से इसमें नागरिको के वह कार्य आते हैं जो सरकार की निर्णयकारी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

महिलाऐ एंव राजनीतिक सक्रियता

19वी सदी को भारतीय पुनजागरण का काल माना जाता हैं इस सदी में भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक ओर शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन आया। यह परिवर्तन पाश्चात्य सस्कृति से प्रभावित था। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। इस समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन जैसे सगठनों कि स्थापना हो चुकी थी इन सगठनो का प्रमुख उदेश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाना था और उनमें आत्मविश्वास पैदा कर पुरूषों के समान आत्मनिर्भर बनाना था। क्योंकि भारतीय महिलाऐं सदियो से एक–सा जीवन जीती आ रही थी जिनका एकमात्र उदेश्य घर के कार्यों को पूरा करना, वंशावली को आगें बढ़ाना एंव पति की आज्ञा का पालन करना माना जाता था। 20वीं सदी में भारतीय महिलाओं ने गाधी जी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ किया ओर इसके साथ ही महिलाऐं राजनीति में भी भाग लेने लगी। भारतीय महिलाओं का सक्रिय राजनीति में प्रवेश लेना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्योकि लम्बे समय से महिलाओं का दैनिक जीवन केवल घर की चार दिवारो के भीतर ही सीमट कर रह गया था। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओ द्वारा भाग लिये जाने से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत में कई महिला सगठन का निर्माण हुआ जिनका प्रमुख उदेश्य महिलाओ की स्थिति में सुधार लाना था। सर्वप्रथम चेन्नई में भारतीय महिला सघ का गठन हुआ। इसके बाद विभिन्न महिला सगठनों के प्रयत्नों से देश में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई साथ ही अन्य महिला सगठन विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मण्डल, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सस्था एंव कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि महिला सगठन स्थापित हुए।[2] यह प्रथम अवसर था जब महिलाऐं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने आगे आयी। यह तथ्य सत्य हैं, कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में बडी सख्या में महिलाओं ने भाग लिया लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता न्यूनत्म ही बनी रही साथ ही जो महिलाऐं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही वह कुछ निश्चित उच्च वर्ग से संबंधित रही। भारतीय राजनीति में भाग लेने वाली महिलाओ को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं जिनमें सर्वप्रथम उच्च राजनीतिक परिवार की वे महिलाऐ आती हैं, जो किसी कि पत्नी, बहु या बेटी होती हैं, दूसरे वर्ग मे उच्च सम्पन्न व आर्थिक रुप से प्रभावी परिवारो की महिलाऐं आती हैं यह परिवार राजनीति को प्रभावित करने का समर्थ रखते हैं ओर तीसरे वर्ग में फिल्म जगत, मिडिया, लेखन आदि क्षेत्रो से संबंधित महिलाऐ आती हैं इस प्रकार यह स्पष्ट होता हैं कि महिलाओं का सबसे बडा वर्ग मध्यम व निम्न वर्ग का राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित रूप से कोई भी महिला प्रतिनिधित्व नही करती।[3] 1950 के दशक में राज्यसभा में जाने वाली सभी महिलाऐं स्वतन्त्रता आन्दोलन की पृष्टभूमि से थी, जिस कारण वह राजनीतिक लाभ पाने में सफल रही। भारत में 70 वर्षों के इतिहास में एकमात्र महिला प्रधान मत्री का पद पाने वाली श्रीमति इन्दिरा गॉधी रही, परन्तु यह पद भी उन्हे नेहरू परिवार में जन्म लेने के कारण प्राप्त हुआ। 1984 के बाद कोई भी अन्य महिला प्रतिनिधि इस पद को पुन नही प्राप्त कर पायी हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक संज्ञा के उपनाम से जाने वाले राष्ट्रपति पद पर केवल एक मात्र महिला प्रतिनिधि श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। भारत में लोकसभा चुनावों में महिलाओं की स्थिति स्वतन्त्रता के सात दशकों बाद भी विशेष ओर उत्साहर्वधक स्थिति में नही पहुच पायी हैं कि 1951 में गठित प्रथम लोकसभा में कुल 22 महिला प्रतिनिधि चुनी गई थी; जबकि वर्तमान में 61 महिला प्रतिनिधि हैं। चित्र 1 में लोकसभा में प्रथम चुनाव से 16वी लोकसभा तक महिलाओं की सख्या दर्शायी गयी हैं जिसका अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट होता हैं कि लोकसभा में महिलाओ की सख्या कभी भी स्थिर स्थिति में नहीं रही। महिलाओं की सख्या में कभी कम तो ज्यादा बनी रहती हैं 1977 में कार्यरत 6वीं लोकसभा में 3.51 प्रतिशत महिला थी जो सख्या में मात्र 19 थी। वर्तमान में चल रही 16वीं लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं जिसमें 61 महिला या 11.23 प्रतिशत महिलाऐं हैं भारतीय लोकसभा में 63 वर्षो के इतिहास में यह अब तक महिलाओं की सबसे अधिक सख्या हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के आकड़ो के अनुसार भारत में कुल 4896 सासंदो/विधायकों में से 9 प्रतिशत महिलाऐं हैं जिनकी सख्या मात्र 418 हैं। लोक सभा में 11 प्रतिशत महिलाऐ हैं तो राज्य सभा में मात्र 10 प्रतिशत महिलाऐ हैं। आकडो से स्पष्ट होता हैं कि भारत में महिलाऐं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नही हैं। चित्र 2 में महिलाओं की कैबिनेट में महिलाओ की सख्या दशायी गयी है कैबिनेट मे कुल 28 सदस्य हैं जिसमे पुरूष प्रतिनिधियों की सख्या 22 हैं तो वही महिलाओं की सख्या मात्र 6 हैं। केन्द्रीय मत्रिपरिषद में स्थान पाने वाली महिलाओं को अधिकतर राज्य मत्री और उपमत्री का ही दर्जा

दिया गया हैं। यह भी उल्लेखनीय हैं कि जिस भी स्तर का मंत्री पद उन्हें दिया गया उसमें अधिकाशत कम महत्वपूर्ण विभागों का कार्य आवटित किया जाता हैं। जिससे महिलाऐं निर्णय प्रक्रिया का वे बहुत कम प्रभावित कर पाती हैं।[1] स्वतन्त्रता के बाद से ही महिलाऐं चुनाव या विधायिका जैसे मचों से जुडी औपचारिक राजनीति में बहुत ही कम सक्रिय रही हैं। केन्द्र में कार्यरत वर्तमान भाजपा की सरकार में केबिनेट में कुल 6 महिला सदस्यों को स्थान दिया है जो कि पिछली यूपीए की सरकार से 4 स्थान अधिक है वर्तमान सरकार में कार्यरत सभी महिलाओं को विशेष विभाग सौपे गये हैं। जिसमे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पहली बार विदेश मत्रालय व रक्षा मत्रालय क्रमशः सुक्षमा

चित्र –1 लोकसभा मे महिलाओ की सख्या (प्रथम से 16वी लोकसभा)

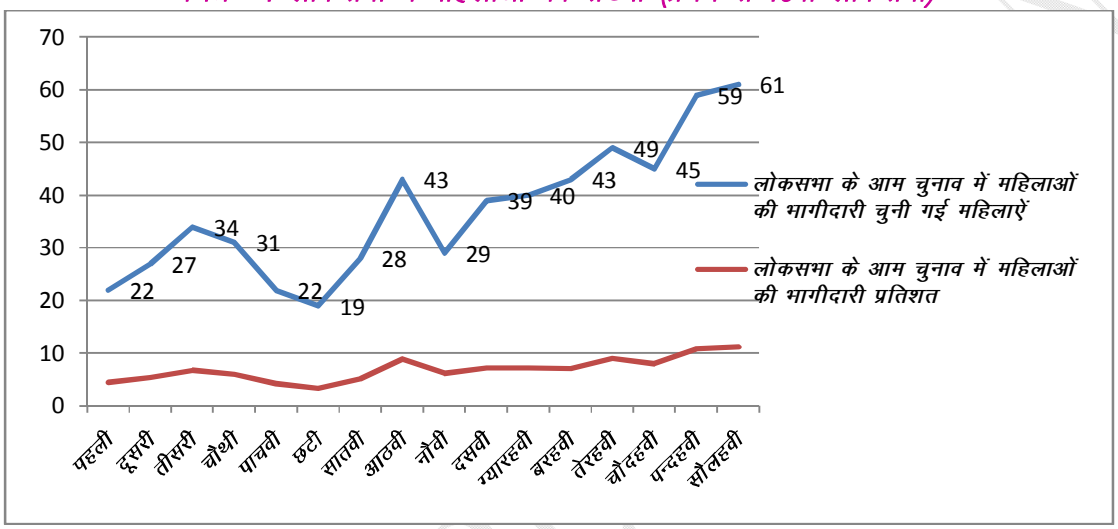

स्त्रोतः– http://www.prsindia.org

स्वराज व निमला सीतारमण को सौपा गया है। अन्य महिला सदस्यों को भी विशेष विभाग सौपे गये है यह प्रथम अवसर हैं, जब रक्षा विभाग व विदेश विभाग का कार्यभार महिलाओ को सौपा गया हैं। भारत

चित्र 2– मन्त्रिमन्डल मे महिला सदस्य

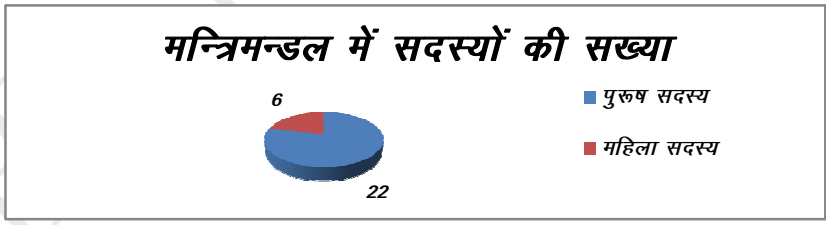

स्त्रोतः–http://www.prsindia.org

के 29 राज्यो ओर 7 केन्द्रशासिम राज्यो की विधानसभा सीटो पर भी महिलाओ का प्रर्दशन व नेतृत्व अत्यन्त निराशाजनक हैं राज्यो की विधानसभाओं मे 4500 से अधिक सीटे हैं जिसमे मात्र 350 सीटो पर महिला विधायक प्रतिनिधि हैं। जो कुल सख्या का केवल 8 प्रतिशत हैं। चित्र 3 में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की सख्या दर्शायी गयी है जिसका अवलोकर करने पर स्पष्ट होता हैं कि पश्चिम बगांल व आन्ध्र प्रदेश में 294 में से 34 सीटो पर महिला सदस्य है ओर बिहार में 243 सीटो में से 34 सीटो पर महिला सदस्य हैं इन तीनो राज्यो की विधानसभाओ मे महिला सदस्यो की सख्या सबसे अधिक हैं। उत्तरप्रदेश मे 403 सीटो पर केवल 32

महिला सदस्य है राजस्थान 200 सीटो में से 28 महिला विधायक हैं आन्ध्र प्रदेश में 230 सीटो मे 25 सीटो पर महिला प्रतिनिधि है नागालैण्ड व सिक्किम शुन्य महिला सदस्यों के साथ सबसे निचले स्तर पर हैं मेघालय व गोवा में एक–एक महिला सदस्य हैं। भारतीय सविधान द्वारा महिला प्रतिनिधियो को शासन व्यवस्था में सक्रिय योगदान सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं। इसके अन्तर्गत भारतीय सविधान द्वारा 73वें ओर 74वें संविधान संशोधन करके महिलाओ के लिए स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत सीटो का आरक्षण किया गया हैं। यह कानून महिलाओ के राजनीतिक सबलीकरण की दिशा मे एक ऐतिहासिक कदम है। जिससे महिलाओ को स्थानीय स्तर पर प्रशासन मे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ हैं।[5] लेकिन अनेक अध्ययनो में पाया गया हैं कि महिलाऐं अपने परिवार के पुरूष प्रतिनिधियो के कहने पर स्थानीय सस्थाओं की सदस्यता ग्रहण तो कर लेंती हैं लेकिन वह अपने उत्तरदायित्वो को पूरा करने मे असमर्थ

चित्र 3– राज्य की विधानसभा में महिलाओ की सख्या

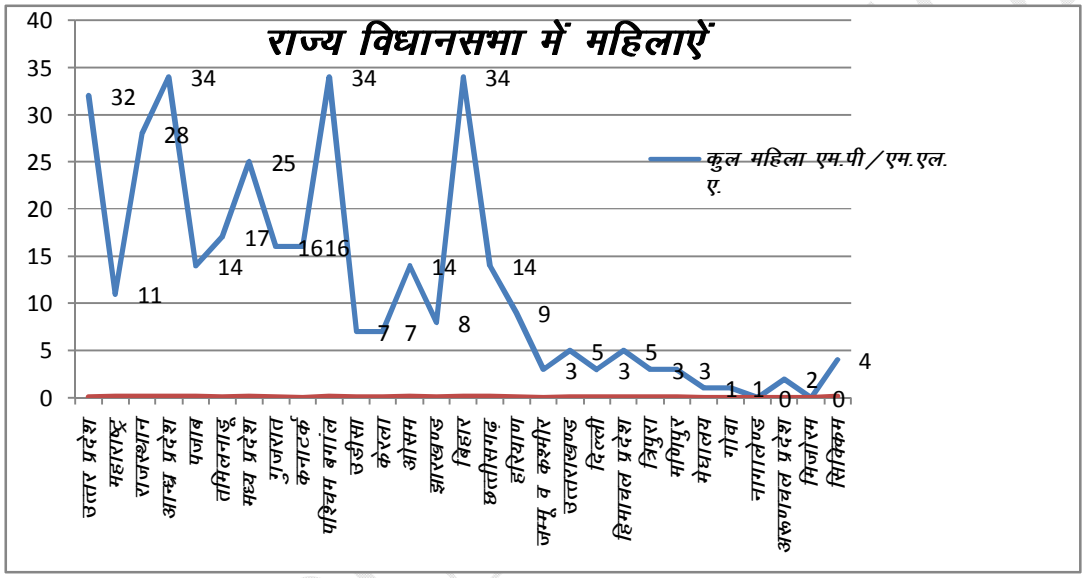

स्त्रोतः–http://www.prsindia.org

रहती हैं ओर सभी काम अपने पति या संरक्षक के आदेशो के अनुसार करती हैं। जिस कारण महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता का अभाव बना रहता हैं साथ ही वह राजनीति से जुड़े अपने कार्य का निवाह करने में भी असमर्थ रहती हैं। भारत में राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय ओर क्षेत्रीय सभी स्तरो में सचांलित राजनीतिक दलों में महिलाओं सदस्यों की सख्या बहुत ही कम हैं सभी राजनीतिक दल महिलाओं के हितों पर जोर शोर से बाते करते हैं महिला सशक्तिकरण व समानता के आदशो को स्थापित करने की घोषणऐ करते हैं, किन्तु जब पार्टी की तरफ से टिकट बाटने की घोषणा होती हैं तो वह पुरूषो को की टिकट देते हैं, ना कि महिला प्रतिनिधि को; क्योकि राजनीतिक दल पुरूष प्रधान रूढिवादी सोच से प्रभावित हैं। संविधान लागू होने के बाद से चुनाव लडने, चुनाव प्रचार करने व मतदान करने के लिहाज से चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई हैं। मतदाताओं की सख्या में यह बढोत्तरी विशेषकर निचली जाति ओर निम्न वर्ग की महिला मतदाताओं में आंशिक रूप से संगठित होने के स्तर में देखने को मिलती हैं जबकि कुछ हद तक यह सामाजिक आंदोलन की भी उपज हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाओ ने पुरूषों के साथ कधे से कन्धा मिला कर चलना शुरू कर दिया हैं।[6]

चुनावों के समय विशेष रूप से राजनीतिक प्रभाव रखने वाली महिलाओं को राजनीतिक दलो द्वारा पार्टी के प्रचार–प्रसार करने के लिए आमत्रित किया जाता हैं। जिससे वह महिला मतदाताओं को आकर्षित कर सके। लगभग सभी छोटे–बडे राजनीतिक दलो द्वारा इस प्रकार की नीति का प्रयोग चुनावी हथकड़े के रूप में किया जाने लगा हैं। चुनावी समय समाप्त होने के बाद विशेष रूप से आमत्रित की गई महिलाऐं पुन राजनीति पार्टी में नजर नही आती। विगत कुछ वर्षो में महिलाओं द्वारा मतदान करने में विशेष सक्रियता दिखाई हैं। पिछले 15 वी

लोकसभा चुनाव 2009 में महिलाओं का वोटिग प्रतिशत 55.82 महिलाओं ने मतदान में भाग लिया तो वही 2014 की 16वी लोकसभा मे यह प्रतिशत बढ़कर 65.63 के आकड़े को पार कर गई। यद्यपि यह प्रतिशत पुरूषो मतदान से 1.46 प्रतिशत कम रहा यह अब तक का सबसे कम अन्तर रहा हैं। मतदान प्रतिशत से स्पष्ट होता है कि भारतीय महिलाओं मे राजनीतिक क्षेत्र मे रूचि बढी हैं; लेकिन वह अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग समर्थ नही बन पायी हैं।

निष्कर्ष :

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तभी सफलता पूर्वक सचांलित कि जा सकती हैं जब उसमें सभी नागरिक (स्त्री व पुरूष) समान रूप भाग ले; व राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। भारतीय सविधान निर्मात्री सभा इस तथ्य से पेहले ही अवगत थी अतः सविधान द्वारा ऐसे प्रावधानो को अपनाया गया जिससे सभी नागरिको(स्त्री/पुरूष) दोनो राजनीति मे भाग ले सके साथ ही सरकार की आलोचाना कर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सके। भारत के सभी नागरिको द्वारा प्रत्येक चुनावों पर मताधिकार का प्रयोग कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रयोग करते हैं। सविधान द्वारा महिलाओ के लिए अलग से विशेष प्रावधान व आरक्षण की व्यवस्थ भी कि गयी हैं जिनका उदेश्य महिलाओ को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनान हैं उपरोक्त तथ्यो का विश्लेष्ण करने से विदित होता हैं कि प्राचीन काल से ही समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नही रही हैं, जिसके फलस्वरूप राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का अभाव बना हुआ हैं। यद्यपि सरकार द्वारा समय समय पर अनेक क्रार्यक्रम व योजनाओ लागू कि जाती रही हैं जो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्षम बनान हैं। किन्तु इन योजनाओं का लाभ का निम्न स्तर की आवश्यक महिलाओं की अपेक्षा पेहले से ही राजनीतिक व सामाजिक रूप से उच्च स्थिति प्राप्त महिलाओं को ज्यादा हुआ हैं। बिहार में राबड़ी देवी का मुख्यमत्री बनना इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। जिस कारण महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में अन्तर दिखाई देता हैं। भारतीय राजनीति में सक्रिय महिलाऐं ज्यादातर ऐसे परिवारों से संबंध रखती हैं जो राजनीतक रूप से या आर्थिक रूप राजनीति मामलो को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए राबड़ी देवी, सुक्षमा स्वराज, महबूबा मफती, राजराजेश्वरी, आदि। किन्तु लोकतान्त्रिक राज व्यवस्था में विभिन्न स्तरो में महिलाओ का कम प्रतिशत से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अभी महिलाओ के लिए ओर प्रयास किये जाने आवश्यक हैं विशेष रूप से मध्यम व निम्न वर्ग की महिलाओ के लिए, क्योंकि यह महिलाओं का सबसे बडा वर्ग हैं ओर यह प्रारम्भ से ही राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा हैं। महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलो को प्रयास करना होगा क्योकि राजनीतिक दल ही वह माध्यम हैं जिसके द्वारा महिलाऐ राजनीति में प्रवेश कर पाती है किन्तु दुर्भाग्यवश राजनीतिक दल महिलाओ को नेतृत्व प्रदान करने में अधिक सक्रियता नही दिखाते हैं। महिलाओ के सर्वागिर्ण विकास के लिए पूरे समाज को एकजूट होकर प्रयास करना पड़ेगा, राजनीति क्षेत्र में महिलाओं को सक्रिय बनाने के लिए सरकारी, व नीजि प्रयासों को भूमिगत स्तर तक प्रभावी बनाना होगा।

सन्दर्भः

1– सिंह, राकेश, 'उत्तराचल में पिछले दो दशकों में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता के कारण, प्रभाव एवं सीमाओं का एक अध्ययन : गढवाल मण्डल के विशेष संदर्भ में', अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, हे0न0 ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर, 2008, पृ0–7

2– त्रिपाठी,डी.सी, एंव पारीक.ममता,, 'भारतीय शासन एंव राजनीति सिद्धान्त एंव व्यवहार', कॉलेज बुक डिपों, जयपुर, 2012, पृं0–174

3– सेमवाल, एम0एम0, 'महिलाएं एंव राजनीति : उत्तराखण्ड का एक परिदृश्य', समाज विज्ञान शोध पत्रिका, हॉफ ईयली रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइंस, अगस्त 2007, पृ0–160

4–रोबर्ट, बेन, 'राजनीतिक सक्रियता और वर्णनात्मक विश्लेष्ण : जीवविज्ञान टेम्पलेट ओर मेट पोट', फोरम क्वालिटेटिव सोश्ल रिसर्च, vol 5, No 3, (2004)>Roberts, 25/10/2016, 1:18 PM.

5– आर्य,साधन एंव अन्य,, 'नारीवादी राजनीतिः सघर्ष एंव मुद्दे', हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2012, पृ0–345

6–त्रिपाठी, सोमनाथ,, 'नारी–विमर्श', विनय प्रकाशन वाराणसी, 2012, पृ0–6

भारती थापा
शोधछात्रा,राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग.विवि,श्रीनगर,गढवाल.

LBP PUBLICATION